संख्याः– 21(1)/XXVII(1)/2008

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः:दिनांकः 07 :जनवरी,2008

विषयः– **द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु नगरपालिका परिषदों को धनराशि का संक्रमण (चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु)।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 32 नगरपालिका परिषदों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 की चतुर्थ किश्त हेतु **रू0 186144000.00 (रू0 अठ्ठारह करोड़ इक्सठ लाख चवालीस हजार मात्र)** की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः– (1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

7/1/2008

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन –आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20– सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्याः– 21 (1)/XXVII(1)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/ कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त वरिष्ठ मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त) 21/1/2008
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः 21 / XXVII (i)/ 2007,
दिनांकः 07 जनवरी, 2008 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु नगर पालिका परिषदों को चतुर्थ त्रैमास के लिए संकमित धनराशि।

(धनराशि हजार रूपयें में)

क0सं0	निकाय का नाम	संकमित धनराशि
1	2	3
1	उत्तरकाशी	5965
2	जोशीमठ	4518
3	चमोली / गोपेश्वर	5861
4	नई टिहरी	6771
5	नरेन्द्र नगर	1397
6	मसूरी	17462
7	विकासनगर	1670
8	ऋषिकेश	7823
9	दुगड्डा	198
10	कोटद्वार	5165
11	श्रीनगर	2912
12	पौड़ी	7023
13	टनकपुर	2245
14	रामनगर	3680
15	नैनीताल	9662
16	भवाली	646
17	हल्द्वानी	16676
18	जसपुर	3992
19	काशीपुर	8691
20	बाजपुर	2111
21	गदरपुर	2007
22	रूद्रपुर	13807
23	किच्छा	3298
24	सितारगंज	2589
25	खटीमा	2660
26	रूड़की	8788
27	मंगलौर	3343
28	हरिद्वार	16672
29	पिथौरागढ़	8118

E:\sfc.tps 4kist 07-08

7/1/2008

क्र0सं0	निकाय का नाम	संकमित धनराशि
1	2	3
30	अल्मोड़ा	4463
31	बागेश्वर	2161
32	रूद्रप्रयाग	3770
	योग	**186144**

(रू0 अठ्ारह करोड़ इक्सठ लाख चवालीस हजार मात्र)

7/1/2008

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त।